उत्तर प्रदेश शासन
वन अनुभाग-2
संख्या-546/14-2-15-4(1)/2015
लखनऊ, दिनांक 15 अप्रैल, 2015

अधिसूचना

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या -16, सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है।

2- उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन राज्यपाल अग्रतर, डिप्टी कलेक्टर, सलेमपुर, जिला- देवरिया को उक्त वन भूमि के संबंध में वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनुसूची

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0)	सीमा विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	देवरिया	सलेमपुर	सलेमपुर मझौली	बरसीपार	1266 1267 1268	0.1340 3.7350 0.6360	उत्तर- गाटा सं0- 808,809,810, 811,819,820. दक्षिण- गाटा सं0- 1205,1258. पूर्व- गाटा संख्या- 893,894. पश्चिम- गाटा सं0-1269,1289, 1283, 1265.
				योग	**3 किता**	**4.5050**	

आज्ञा से,

(सुनील पाण्डेय)
सचिव

shasanadesh.up.nic.in/go/intra